प्रथम अपीलीय अधिकारी
कार्यालय सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर।

सूचना का अधिकार अपील संख्या 01/2026

अपीलार्थी	बनाम	**रेस्पोडेन्टस**
बाबूराम पुत्र गिरधारी सुथार, निवासी– ग्राम कूडा, पोस्ट पाचला, तहसील सांचोर।		लोक सूचना अधिकारी (अति0 संभागीय आयुक्त) कार्यालय सम्भागीय आयुक्त जोधपुर

प्रथम सूचना अपील अंतर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

उपस्थितिः–
1. अपीलार्थी अनुपस्थित।
2. रेस्पोडेन्ट लोक सूचना अधिकारी (अति0 संभागीय आयुक्त,जोधपुर) उपस्थित।

निर्णय

दिनांक२०मई, 2026

अपीलार्थी के द्वारा इस कार्यालय के लोक सूचना अधिकारी (अति. संभागीय आयुक्त, जोधपुर) को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दिनांक 20.01.2026 को प्रेषित आवेदन में अंकित बिन्दूओं के अनुसार (बिन्दू संख्या 1 अनुसार वर्तमान समय पर सीएम हैल्प लाईन नम्बर 181 पर परिवाद दर्ज है, उनकी जनसुनवाई कब होती है और वर्तमान समय में कितने परिवाद पेडिंग चल रहे है, उस समय पर आपके द्वारा क्या संज्ञान लिया जाता है। कितने परिवाद पर आपने समस्या का समाधान किया है, उसकी प्रति, तथा बिन्दू संख्या 2 से 7 में जनवरी, 2024 से 31 दिसम्बर, 2026 तक निजी स्कूल कुडा के मालिकों को पाबन्द करने, आरटीआई कार्यकर्ता बाबूराम सुथार को धमकी व जान से मारने, हत्या का प्रयास कर रहे भू माफिया को पाबन्द करने हेतु परिवाद पेश पर उन्हें पाबन्द नहीं करने, परिवाद पेश करने पर उस पर संज्ञान नहीं लेने, उपखण्ड अधिकारी को दिनांक 1.1.2024 से 31.12.205 तक कितने परिवाद पेश किये गये, परिवाद पर कितने समय तक पाबन्द है या नहीं है, किसी व्यक्ति पर मुकदमें दर्ज है तो वह व्यक्ति पाबन्द नहीं रहता है तो क्या असर पड़ेगा, उपखण्ड अधिकारी को शिव बाल निकेतन स्कुल लोडिग वाहन में सवार बच्चों भेड़ बकरी की तहत स्कूल कुडा में लोने ले जाने का कार्य किया जा रहा है, उसकी सूचना दी गई और प्रेषित किये गये परिवाद पर दो साल में निजी स्कूल की शिकायत पर संज्ञान लिया और क्या कार्यवाही हुई है, उसकी प्रति) उपलब्ध कराने हेतु निवेदन किया। आवेदन के अनुसार सूचनाएं उपलब्ध नहीं कराने पर सूचना

सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत दिनांक 13.03.2026 को यह प्रथम सूचना अपील पेश कर लोक सूचना अधिकारी को उपरोक्त सूचनाएं प्रदान करने के निर्देश देने हेतु निवेदन किया है।

अपीलार्थी की उक्त प्रथम सूचना अपील को दिनांक 24.03.2026 को दर्ज रजिस्टर की जाकर लोक सूचना अधिकारी से अपील पर टिप्पणी एवं संधारित पत्रावली तलब की गई तथा सुनवाई हेतु तिथी नियत की जाकर तथा अपीलार्थी को भी सुनवाई बाबत नोटिस जारी किया गया। अपीलार्थी अनुपस्थित है।

उक्त क्रम में सहायक लोक सूचना अधिकारी, कार्यालय हाजा ने अपने पत्रांक एडीसी/सू0अ0/प्र.अ./2026/73 दिनांक 08.4.2026 को मूल पत्रावली व टिप्पणी प्रेषित करते हुए अवगत कराया कि आवेदक के प्रार्थना पत्र दिनांक 20.01.2026 (प्राप्ति दिनांक 26.01.2026) के अनुसार आवेदन में अंकित 07 बिन्दूओं से सम्बन्धित सूचनाए चाही गई थी, जो इस कार्यालय से सम्बन्धित नहीं है। उक्त प्रकरण को इस कार्यालय के पत्रांक एडीसी/सू0अ0/14/2026/24 दिनांक 4.2.2026 के द्वारा स्पीड पोस्ट के माध्यम से उपखण्ड अधिकारी, सांचोर को स्थानान्तरित करते हुए परिवादी को सूचित जा चुका है। अतः आवेदक के द्वारा प्रस्तुत आवेदन के सम्बन्ध में समस्त कार्यवाही इस कार्यालय के द्वारा की जा चुकी है अतः प्रथम अपील सारहीन होने से खारिज की जावें।

हमने अपीलार्थी की अपील एवं लोक सूचना अधिकारी की ओर से प्रेषित टिप्पणी का अवलोकन किया तथा संधारित प्रकरण की पत्रावली का एवं सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का अवलोकन किया जिससे यह पाया गया कि आवेदक/प्रार्थी के द्वारा आवेदन पत्र दिनांक 26.01.2026 के अनुसार कार्यालय से चाही गई सूचनाएं इस कार्यालय से सम्बन्धित नहीं होने से लोक सूचना अधिकारी, कार्यालय हाजा ने अपने पत्र क्रमांक 24 दिनांक 04.02.2026 के द्वारा सम्बन्धित कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, सांचोर को स्थानान्तरित किया गया तथा उस पत्र की एक प्रति अपीलान्ट बाबूराम सुथार को दी गई है। अपीलान्ट के आवेदन का अवलोकन किया गया जिसमें बिन्दू संख्या 1 कि वर्तमान समय पर सीएम हैल्प लाईन नम्बर 181 पर परिवाद दर्ज है, उनकी जनसुनवाई कब होती है और वर्तमान समय में कितने परिवाद पेडिंग चल रहे है, उस समय पर आपके द्वारा क्या संज्ञान लिया जाता है। कितने परिवाद पर आपने समस्या का समाधान किया है, उसकी प्रति चाही गई थी, ऐसे में लोक सूचना अधिकारी को कार्यालय हाजा में सीएम हेल्प लाईन नम्बर 181 पर दर्ज हुए परिवादों के सम्बन्ध में सम्पूर्ण जानकारी एकत्रित कर अपीलान्ट को उपलब्ध करवाई जाना अपेक्षित था जबकि ऐसा नहीं किया गया है।

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

सूचना का अधिकार अपील संख्या 01/2026 बाबूराम बनाम अति.संभागीय आयुक्त, जोधपुर

आवेदक के द्वारा बिन्दू संख्या 1 ता 7 में अंकित सूचनाएं जिनका उपखण्ड अधिकारी, सांचोर के कार्यालय से सम्बन्धित होने से कार्यालय के सहायक लोक सूचना अधिकारी के द्वारा उपखण्ड अधिकारी, सांचोर को स्थानान्तरित/अन्तरित कर दिया गया है। आवदेक के आवेदनानुसार संवेदनशील मुद्दों के सम्बन्ध में सूचना चाही गई है। ऐसे में लोक सुनवाई अधिकारी को अपने स्तर पर आवदेन का विधिवत परीक्षण करने के उपरान्त इस प्रकार के आवेदनों का निस्तारण करना चाहिये ताकि अधिनियम की महत्वता बनी रह सके।

कार्यालय हाजा के लोक सूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत प्रस्तुत होने वाले आवेदनों का गहनता से परीक्षण करने, सूचना के विषय अनुसार कार्यालय की सभी सम्बन्धित शाखाओं से टिप्पणी/दस्तावेजों की प्रतियॉ प्राप्त कर संकलित करते हुए इस प्रकार के आवेदनों का समयबद्ध निस्तारण करें।

ऐसे में अपीलान्ट की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा आवेदक/अपीलान्ट के आवेदन में बिन्दू संख्या एक में अंकित सूचना के सम्बन्ध में कार्यालय हाजा में सीएम हैल्प लाईन नम्बर 181 पर दर्ज हुए परिवाद, उनके निस्तारण के सम्बन्ध में सम्पूर्ण सूचना व उनकी प्रतियॉ अपीलान्ट को निःशुल्क उपलब्ध करवाई जावे। अपीलान्ट बिन्दू संख्या 2 ता 7 में अंकित सूचनाएं उपखण्ड अधिकारी कार्यालय सांचोर, पुलिस थाना, पुलिस विभाग से प्राप्त कर सकता है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी को भी प्रेषित की जावें।

(कन्हैयालाल स्वामी)
सम्भागीय आयुक्त,
जोधपुर